कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2429 दिनांक : 16.03.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु फेज–II में आवेदन एवं ई–नीलामी दिनांक में संशोधन बाबत सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी. लिमिटेड** के माध्यम से फेज–**II** में ई–निलामी (ई–बोली) हेतु विभिन्न चरणों में प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/2401 दिनांक 10.03.2021 से ई–बोली आमंत्रित की गई है।
2. **दिनांक 15 एवं 16 मार्च को बैंको में देशव्यापी हडताल होने से पूर्व घोषित ई–नीलामी (ई–बोली) दिनांक 17.03.2021 के स्थान पर ई–नीलामी दिनांक 20.03.2021 व आवेदन की अंतिम तिथि 19.03.2021 नियत की जाती है।**
3. दिनांक 19.03.2021 को होने वाली ई–नीलामी एवं आवेदन करने की अंतिम दिनांक 18.03.2021 यथावत रहेगी। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नही किया गया है।
4. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।
5. उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** एवं एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

Scanned with CamScanner